

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत
17 बिन्दुओं की सूचना का मैनुअल

उत्तर प्रदेश पुलिस

जनपद – प्रतापगढ़।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत वेबसाईट में प्रकाशनार्थ 17 बिन्दु

1. अपने संगठन/संस्था/कार्यालय का व्यौरा, उसके कार्य और कर्तव्य।
2. उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और जिम्मेदारियां।
3. फैसले लेने की प्रक्रिया और पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही।
4. कार्य का निर्वहन करने के लिये बनाये गये मानदंड।
5. कार्यों को पूरा करने के लिये कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकार्ड।
6. उसके अधीन रखे हुए दस्तावेजों का वर्गीकरण।
7. ऐसी किसी भी व्यवस्था की मौजूदगी का पूरा व्यौरा, जो नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिये जनता के प्रतिनिधियों की राय लेने के बारे में या समाज के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में हो।
8. संगठन/संस्था/कार्यालय द्वारा गठित ऐसे बोर्ड, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण की घोषणा, जिसमें दो या उससे ज्यादा व्यक्ति हैं। साथ ही यह सूचना कि इनकी बैठकें जनता के लिए खुली हुई हैं या नहीं और इनकी बैठकों में हुई कार्यवाही का व्यौरा जनता को दिया जा सकता है या नहीं।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम—पते और फोन नम्बर की निर्देशिका।
10. अधिकारियों और कर्मचारियों में से हर एक को मिलने वाला मासिक वेतन और नियमों के मुताबिक मिलने वाली प्रतिपूर्ति रकम की प्रणाली।
11. सभी योजनाओं पर होने वाला प्रस्तावित खर्च, योजनाओं के लिये दिया जा चुका धन और काम करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों को आवंटित बजट।
12. सब्सिडी योजनाओं को पूरा करने की प्रणाली, उनके लिए खर्च की जाने वाली रकम और इन कार्यक्रमों का लाभ लेने वालों का व्यौरा।
13. रियायतें, परमिट और अधिकार पत्र पाने वाले व्यक्तियों का व्यौरा।
14. इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गयी सूचना के सम्बन्ध में व्यौरा।
15. सूचना हासिल करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी और सार्वजनिक उपयोग के लिये बनाये गये किसी पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाज के घंटों की जानकारी।
16. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य व्यौरा।
17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जायें, और तदनुसार इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जनपद प्रतापगढ़।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है।

1. पुलिस बल के कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। क्षेत्राधिकारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्षों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी उनके थाना क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी हैं।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन –

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

अपर अधीक्षक	पुलिस	क्षेत्राधिकारी	निरी0 / उ0निरीक्षक	नाम थाना
अपर अधीक्षक पूर्वी	पुलिस	क्षेत्राधिकारी नगर	प्रभारी निरीक्षक	को0नगर
			प्रभारी निरीक्षक	अन्तू
			प्रभारी निरीक्षक	कोहड़ौर
			प्रभारी निरीक्षक	महिला थाना
		क्षेत्राधिकारी	प्रभारी निरीक्षक	रानीगंज

	रानीगंज	प्रभारी निरीक्षक	फतनपुर
		प्रभारी निरीक्षक	मानधाता
	क्षेत्राधिकारी पटृटी	प्रभारी निरीक्षक	पटृटी
		प्रभारी निरीक्षक	कंधई
		प्रभारी निरीक्षक	आ० देवसरा
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी	क्षेत्राधिकारी सदर	प्रभारी निरीक्षक	जेठवारा
		थानाध्यक्ष	महेशगंज
		थानाध्यक्ष	बाधराय
	क्षेत्राधिकारी लालगंज	प्रभारी निरीक्षक	लालगंज
		प्रभारी निरीक्षक	संग्रामगढ़
		प्रभारी निरीक्षक	सांगीपुर
		प्रभारी निरीक्षक	उदयपुर
	क्षेत्राधिकारी कुण्डा	प्रभारी निरीक्षक	कुण्डा
		प्रभारी निरीक्षक	मानिकपुर
		प्रभारी निरीक्षक	हथिगवां

1.2 जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारः—

क्र० सं०	ईकाई का नाम	प्रभारी अधिकारी का पद नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक

1	वायरलेस शाखा	निरीक्षक रेडियो	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
2	स्थानीय अभिसूचना इकाई	निरीक्षक एलआईय	क्षेत्राधिकारी एल०आई०यू०	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
3	फायर सर्विस	एफ०एस०ओ०	मुख्य अग्निशमन अधि०	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
4	नियंत्रण कक्ष	निरीक्षक रेडियो	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
5	यातायात पुलिस	ठी०एस०आई०	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
6	नारकोटिक्स सेल	प्रभारी डीसीआरबी	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी

<u>7</u>	वी0आई0पी0	आर0आई0	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
<u>8</u>	पुलिस लाइन्स	आर0आई0	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
<u>9</u>	भवन	आर0आई0	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>10</u>	फील्ड यूनिट	एस0ए०	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>11</u>	आंकिक शाखा	आंकिक	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>12</u>	विशेष जांच प्रकोष्ठ	प्रभारी वि०जां०प्र०	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>13</u>	महिला सहायता प्रकोष्ठ	प्रभारी महिला प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>14</u>	डी०सी०आर०बी०	प्रभारी डीसीआरबी	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
<u>15</u>	न्यायालय प्रकरण	प्रभारी रिट सेल	क्षेत्राधिकारी नगर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>16</u>	सम्मन सेल	प्रभारी सम्मन सेल	क्षेत्राधिकारी नगर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>17</u>	वेबसाइट सेल	अराजपत्रित वेबसाइट नोडल अधिकारी	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
<u>18</u>	सीसीटीएनएस सेल	डी०सी० / कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड—ए	क्षेत्राधिकारी नगर	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी
<u>19</u>	प्रधान लिपिक	प्रधान वलर्क	क्षेत्राधिकारी सदर	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोक शांति को

प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और जिम्मेदारियां

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं :—

2.1 पुलिस अधिनियम

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जाय
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शंक्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करे, लोक शक्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होग
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति

31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें।
34क	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विर्तिदिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p>
अपर पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	अपर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 24 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी

	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर	सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)
43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पूलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म न0 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे
51 द्वितीय अफसर (उप निरीक्षक)	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।
55 हेड मोहर्रिं	हेड मोहर्रिं के कर्तव्य 1 रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। 2 हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म न0 224) 3 यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 बीट आरक्ष	कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।

65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द.प्र.सं. की धारा	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ 1. संज्ञेय अपराध की दशा में। 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण 3. उद्घोषित अपराधी 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा 6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा। 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराध
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।

51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार करने की शक्ति
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का निरीक्षण / अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जफ़्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेशणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेशण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सषक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

3. फैसले लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण / जवाबदेही के स्तर

3.1 अनुसंधान/विवेचना

क्रमांक संख्या	कार्यवाही	कार्य स्तर
1	प्र०सू०रि० का पंजीकरण	154 द०प्र०स० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
2	साक्षियों का परीक्षण	161 द०प्र०स० के अनुसार
3	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द०प्र०स० के अनुसार
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।
5	साक्ष्य का संकलन	द०प्र०स० के अनुसार
6	नक्शा नजरी तैयार करना	द०प्र०स० के अनुसार

7	अभियुक्तों की गिरपतारी	द०प्र०सं० के अनुसार
8	संस्वीकृति का लिखा जाना	द०प्र०सं० के अनुसार
9	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	द०प्र०सं० के अनुसार
10	तलाशी	द०प्र०सं० के अनुसार
11	निरुद्धि	द०प्र०सं० के अनुसार
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	द०प्र०सं० के अनुसार
13	आरोप पत्र का दाखिल करना	द०प्र०सं० के अनुसार

3.2 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

नियन्त्रण कक्ष	टेलीफोन नं०	कार्य
जिला नियन्त्रण कक्ष	05342-220244 9454417460	जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी
1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करन	थानाध्यक्ष / दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० वल्कर्क द्वारा

2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० कलर्क द्वारा / संतरी पहरा द्वारा
3	प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० कलर्क द्वारा
4	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० कर्लक द्वारा

3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:

कार्य सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी
1	पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	शाखा प्रभारी द्वारा
2	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय) द्वारा
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा
5	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा
6	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक / बीट	थानाध्यक्ष द्वारा

	आरक्षी को जाँच हेतु भेजना	
8	जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जांच अधिकारी द्वारा
9	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित	थानाध्यक्ष द्वारा
10	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा

3.3.3 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी
1	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व संबंधित को जाँच हेतु प्रेषित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष द्वारा
4	क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष कार्यालय के कां०० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष कार्यालय के कां०० कलर्क द्वारा
5	पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा

3.3.4 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

- 1— यू०पी०फायर सर्विस एकट 1944 की धारा 19(।) के अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी को किसी भी संस्थान/ अध्यासी से उस भवन की बनावट/ पानी का साधन/ पहुंच मार्ग तथा सम्पत्ति (जोखिम युक्त) की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- 2— यू०पी०फायर सर्विस एकट 1944 की धारा 19(॥) के अन्तर्गत यदि सूचना निर्धारित समय/ असत्य प्रतीत हो तो उसे सत्यापित करने का अधिकार है।
- 3— धारा 19ए(।) के अन्तर्गत यदि यह समझा जाता है कि वहां निरीक्षण की आवश्यकता है तो निरीक्षण किया जाएगा। (सीधा निरीक्षण)
- 4— यू०पी० फायर प्रिवेशन एवं फायर सेफटी एकट 2005 के अन्तर्गत धारा (3) में 15 मीटर से ऊँचे भवन/ विस्फोटक पदार्थ अधि० 1952 से आच्छादित भवनों/ परिसरों के निरीक्षण का अधिकार अग्निशमन अधिकारी को है तथा अग्निशमन अधिकारी नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नोटिस जारी कर सकता है।
- 5— शासनादेश संख्या 2464/छ:-पु०-८-२००५ दिनांक 09-12-05 के अनुकम में आतिशबाजी/ फैकट्री/ शस्त्रागार/ मिट्टी का तेल/ पेट्रोल पम्प/ भवन निर्माण/ स्कूल/ होटल/ छविगृह/ विशिष्ट महानुभावों के कार्यक्रम के दौरान बनाये गये पाणडाल तथा मतगणना स्थल/ मतपेटियों के स्ट्रॉगर्लम के निरीक्षण करने का अधिकार है।

3.3.5 जनपद प्रतापगढ़ में यातायात नियमन

3.3.5.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

क्र० सं०	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	3 / 181	250—500 व 3 माह तक का कारावास या दोनों
2	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना व उससे चलवाना	4 / 181	500 व 3 माह का कारावास या दोन
3	बिना लाइसेंस गाड़ी चलवाना	5 / 180	1000 व 3 माह कारावास या दोनों
4	बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना	39 / 192	जुर्माना 5000—2000 से कम नहीं। अधिकतम जुर्माना 10000 जो 5000 से कम नहीं या 12 माह का कारावास या दोन
5	बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56 / 192	जुर्माना 5000—2000 से कम नहीं। अधिकतम जुर्माना 10000 जो 5000 से कम नहीं या 12 माह का कारावास या दोनों
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना	6 / 192ए	जुर्माना 5000—2000 से कम नहीं। अधिकतम जुर्माना 10000 जो 5000 से
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	प्रथम बार 300/-, द्वितीय बार 500
8	एक दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	100—200 तक
9	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	जुर्माना 1000, अधिकतम जुर्माना 2000
10	शांति क्षेत्र में अज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115 / 194	जुर्माना 1000, अधिकतम जुर्माना 2000
11	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	जुर्माना 1000, अधिकतम जुर्माना 2000
12	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	जुर्माना 1000, अधिकतम जुर्माना 2000
13	बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायी तरफ होना	120 / 177	100—300

14	ओवर लोडिंग या निर्धारित ऊँचाई से अधिक भार लाना	113 / 194(2)	2000—टन के हिसाब से
15	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119 / 177	100—300
16	खतरनाक दशा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो	122 / 177	100—300
17	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 178	200—500
18	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठना	28 / 177	100—300
19	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठना	128 / 177	100—300
20	बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाना	129 / 177	100—300
21	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मांगने पर पेश न करन	130 / 177	150—300
22	किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाना।	130 / 177	150—300
23	किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पो द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना	178(3)	100—200
24	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर चालक द्वारा गाड़ी न रोकना	132 / 179	250—500
25	स्टाप लाइन का उल्लंघन करना	17 / 177	100—300
26	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	100—300
27	अधिक घुआँ वाहन से निकलना	190 (2)	1000—2000
28	बिना इन्श्योरेन्स के वाहन चलाना	146 / 196	1000 या 3 माह का कारावास या दोनों
29	भार वाहन में पशुओं को ले जाना	59 / 177	150—300
30	भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना	47 / 177	150—300
31	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	300—500
32	बायें से गाड़ी को ओवरटेक करना	110 / 177	100—300
33	बेताहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	1000—2000, 2 वर्ष कारावास या दोन

34	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाना	185 / 202	जुर्माना 2000, 6 माह व दोनों। अधिकतम जुर्माना 3000, 2 वर्ष का कारावास या दोनों
35	मालिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना व चलाना	197 / 202	500 या 3 माह का कारावास या दोनों
	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना	125 / 177	100—300
36	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना	125 / 177	100—300
37	गाड़ी के रनिंग बोर्ड में सवारी लादना, पायदान, छत, बोनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	100—300

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के होकारों (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित हैं। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालाना किया जाता है। तीन प्रतियों में चालाना की प्रविष्टियां की जाती हैं, जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती हैं। ¹⁹

लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। कतिपय धाराओं में थानाध्यक्षों एवं क्षेत्राधिकारियों को समायोजन का अधिकार है। समायोजन न होने की दशा में सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है, जिनका समायोजन केवल संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.3.6.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/बांग्लादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग दायित्व निर्धारित हैं।

(अ) विदेशी शाखा/विदेशी नागरिकों के संबंध में :-

पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं विदेशी नागरिकों के मामले में पुलिस अधीक्षक विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में विदेशी नागरिक 02 प्रकार के बीजा अवधि पर आते हैं। एक तो 180 दिन के कम के बीजा पर दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदेशी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता है।

(1) 180 दिन से कम का बीजा लेकर जनपद में आये विदेशियों का पंजीकरण नहीं होता है केवल सूचना विदेशियों द्वारा या जिनके यहां ठहरे हैं के द्वारा दी जाती है।

(2) 180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदेशी अपने प्रवास में यदि 180 दिन से अधिक के प्रवास पर रहते हैं तो उन्हें 14 दिवस के अन्दर सम्बन्धित स्थानीय अभिसूचना इकाई कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि उक्त अवधि में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो 30 डालर या तत्समय निर्धारित विलम्ब शुल्क प्रतिदिन की दर से विदेशी राष्ट्रिक को भुगतान करना होता है। पंजीकरण की सूचना अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ व सी0एफ0बी0 को भेजी जाती है।

(3) स्थानीय प्रवास के दौरान विदेशी राष्ट्रिक वीजा शर्तों का पालन करें। तथा उल्लंघन करने पर विधिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। विदेशियों के नियमानुसार निवास वृद्धि का अधिकार भी शासन के निर्देशों के अन्तर्गत एफ0आर0ओ0 में निहित होता है।

(ब) पाकिस्तानी/बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में :-

1. पाक/बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अथॉरिटी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके निगरानी कराते हुए समय से पाक रवाना करने का उत्तरदायित्व भी सिविल अथॉरिटी/एस0पी0 का होता है।

2. पाक/बी0डी0 नागरिकों की वीजा वृद्धि करने के संबंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त है। सिविल अथॉरिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर 21

एल0टी0वी0 पर रह रहे पाक नागरिकों को एक्सटेंशन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस0टी0वी0 पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की वीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है।

3. पाक/विदेशी मामलों में संबंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थित पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक उ0नि0 की नियुक्ति होती है।
4. स्थानीय प्रवास के दौरान आपत्तिजनक एवं वीजा शर्तों की उल्लंघनकारी गतिविधियां पाये जाने पर विधिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

3.3.6.2 पासपोर्ट

(अ) कार्यवाही का चरण :— पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्र उपयुक्त प्रमाण पत्रों व निर्धारित शुल्क के साथ निम्नस्थानों पर जमा कर सकते हैं।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय, लखनऊ।
2. कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़। (पासपोर्ट अनुभाग)

जमा आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ0नि0 या उससे ऊपर) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं का सत्यापन किया जाता है। तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के पार्ट—बी को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी आदि गतिविधियों में संलिप्तताके विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभि0 मुख्यालय से प्राप्त जांच आख्या तथा जनपद के थानों व एल0आई0यू0 से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी) के द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ या जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदक को प्राप्त कराये जाते हैं। पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट जारी किये जाने की 90 दिवस की अवधि निर्धारित है।

(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :— आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

- (1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी /जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।
- (2) जनपद पुलिस/ए0आई0यू0/अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है। 22

(3) जांच आख्या नोडल अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है

(स) कार्यवाही की अवधि:-

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जॉच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

3.3.7 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

शासनादेश संख्या 1773/छ-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25.04.01 के अनुसार गनर/शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (अभिसूचना) या निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना ईकाई सदस्य होते हैं।

जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर शासनादेश संख्या-786/छ:-पु-2-2008-200(1)/2001 दि0 05.05.08 में निर्धारित उ0प्र0शासन (गृह विभाग) को 20 बिन्दु के निर्धारित प्रारूप पर जीवन भय आख्या प्रेषित की जाती है। प्रदेश स्तर पर उच्च स्तरीय समिति गठित है जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव गृह व सदस्य पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 एवं पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) सुरक्षा शाखा, अभिविभाग, उ0प्र0 होते हैं।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने संबंधी मानक

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर	व्यय भार का प्रतिशत
सांसद/विधायक	(क) एक सुरक्षा कर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षा कम	(क) नि: शुल्क (ख) प्रतिसुरक्षा कर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर
निवर्तमान सांसद / विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत निजी व्यय पर अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये व्यय भार के अनुसार अथवा उच्च स्तरीय समिति के विवेकानुसार नि:शुल्क
राज्य सरकारी निगमों, आयोगों, संस्थानों, परिषदों/ अन्य संस्थानों आदि के ऐसे गैरसरकारी कार्यकारी अध्यक्षों/ उपाध्यक्षों जिन्हें मंत्री/ राज्यमंत्री या उपमंत्री	औचित्य पाये जाने पर— (क) एक सुरक्षा कर्मी (ख) आवश्यक अतिरिक्त	(क) 10 प्रतिशत (ख) निजी व्यय पर

स्तर का कोई दर्जा प्राप्त नहीं है।		
नगर प्रमुख/विश्व विद्यालयों के कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कम	10 प्रतिशत निजी व्यय पर
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत निजी व्यय पर
अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर	औचित्य पाये जाने पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मी	निजी व्यय पर (निजी व्यय का व्ययभार उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार)
जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला /गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा की सामान्य व्यवस्था	व्यय का निर्धारण जनपदीय सुरक्षा समिति/ उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार
जिला पंचायत अध्यक्ष	एक गनर	शासकीय व्यय पर
लोकयुक्त/राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण	एक सुरक्षा कर्मी	शासकीय व्यय पर

शासनादेश सं0—2301 /6—पु0—2—2004—700(1)—2001 दिनांक 18.06.04 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्राविधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय द्वारा उसके जीवन भय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मान0 सांसद/विधायक/मामंत्री गण उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मान0 न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्व संरक्षित महानुभावों को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षा कर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद द्वारा गनर/शैडो सुरक्षा व्यय भार निर्धारण की दरे दि0 01.04.09 से 100 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर रु0 42149/- प्रतिमाह, 25 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर रु0 10537/- प्रतिमाह तथा 10 प्रतिशत पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर रु0 4215/- प्रतिमाह धनराशि पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में अग्रिम जमा करायी जाती है।

कार्य निर्वहन के समय सुरक्षा कर्मी सदैव वर्दी में रहेंगे। एके-47 राइफल व्यक्तिगत सुरक्षा में नहीं लगायी जायेगी। सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जाएगी जो आपराधिक किया—कलापों में लिप्त हो एवं जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था दिये जाने से उसके दुरुपयोगों की संभावना हो। सामान्यतः वर्दीधारी गनर के स्थान पर सादे परिधान में रिवाल्वर/पिस्टल के साथ प्रशिक्षित शैडो उपलब्ध कराये जाएंगे। वर्दीधारी गनर केवल उच्च पद धारकों यथा मा0 मंत्री, मा0 न्यायमूर्ति, मा0 सांसद एवं विधायक को ही विशिष्ट 25

कारणों से दिये जायेंगे। यदि सुरक्षा अवधि बढ़ाये जाने की निर्देश शासन से प्राप्त नहीं होते हैं तो सुरक्षा समाप्त होने की निर्धारित तिथि पर हटा दी जायेगी।

3.3.8 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया

क्र0सं	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति	वाचक पुलिस अधीक्षक
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना	संबंधित क्षेत्राधिकारी
5	अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	संबंधित कां0 द्वारा

शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदक संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.9 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

3.3.9.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन

क्र०सं	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित
1	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधानलिपिक द्वारा
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु० शुल्क के रूप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा
5	एल०आई०य० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल०आई०य० द्वारा
6	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा

3.3.9.2. पुलिस वेरीफिकेशन

क्र०सं	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा
4	एल०आई०य० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल०आई०य० द्वारा
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा

3.3.9.3. सर्विस वेरीफिकेशन

क्र०सं	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा
4	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा

3.3.9.4. मिलिट्री सर्विस वेरीफिकेशन

क्र०सं	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित
1	मिलिट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा
4	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा

3.3.9.5. ठेकेदारी वेरीफिकेशन

क्र०सं	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक द्वारा
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु० शुल्क के रूप में लिया जान	आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्व
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा
5	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति करन	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा
6	एल०आई०य० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल०आई०य० द्वारा
7	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड पुलिस आचरण के सिद्धान्त

उत्तर प्रदेश पुलिस सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली— 1956

1. प्रत्येक पुलिस कर्मचारी सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ व धर्म के क्यों न हों, तथा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा।
2. कोई भी पुलिस कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन के दौरान या किसी क्षेत्र में कभी भी मादक पान तथा औषधि का सेवन नहीं करेगा। तथा इसका पालन दृढ़ता से करेगा।
3. कोई पुलिस कर्मचारी राजनीति तथा चुनाव में भाग नहीं लेगा। और न ही उससे सम्बन्ध रखेगा, और न किसी आन्देलन/संस्था में हिस्सा लेगा।
4. कोई पुलिस कर्मचारी प्रदर्शन व हड्डतालें नहीं करेगा। जो भारत की प्रभुता तथा अखण्डता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिससे न्यायालय की अवमानना, मानहानि होती हो, अपराध करने के लिये उत्तेजना मिलती हो नहीं करेगा।
5. कोई भी पुलिस कर्मचारी सरकारी संघों का सदस्य नहीं बनेगा। जिसके उद्देश्य या कियायें भारत की प्रभुसत्ता, अखण्डता या सार्वजनिक सुव्यवस्था या नैतिकता के विपरीत हों।
6. कोई पुलिस कर्मचारी किसी समाचार पत्र या रेडियो प्रसारण में गुमनाम या स्वंय अपने नाम से या अन्य व्यक्ति के नाम प्रकाशित किसी लेख या समाचार पत्र में किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसी तथ्य की बात व मत नहीं व्यक्त करेगा।
7. कोई भी पुलिस कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं करेगा।
8. कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के सामने साक्ष्य नहीं देगा या समिति, प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य नहीं देगा।
9. कोई पुलिस कर्मचारी सूचना का अनधिकृत संचार सरकार के विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपें गये कर्तव्यों का सदभाव के साथ पालन करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई सरकारी लेख या सूचना किसी कर्मचारी को नहीं देगा।
10. कोई पुलिस कर्मचारी किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिये चन्दा या कोई अन्य धन इकट्ठा नहीं कर सकता जब तक उसे किसी से आदेश न मिला हो।

11. कोई पुलिस कर्मचारी जब तक कि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृत प्राप्त न कर ली हो स्वयं अपनी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से धन / पुरस्कार / भेंट स्वीकार नहीं करेगा।
12. कोई पुलिस कर्मचारी न दहेज लेगा और न देगा। इसका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेगें।
13. कोई भी पुलिस कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन मान—पत्र व विदाई पत्र नहीं लेगा और न ही कोई प्रमाण पत्र स्वीकार करेगा। और न ही किसी सम्मान में आयोजित सभा में उपस्थित होगा।
14. कोई भी पुलिस कर्मचारी असरकारी व्यापार या नौकरी बिना अनुमति के नहीं कर सकता है। तथा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष किसी व्यापार या कारोबार में भाग नहीं लेगा।
15. कोई भी पुलिस कर्मचारी जबकि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृत प्राप्त न कर ली हो किसी ऐसे बैंक या अन्य कम्पनियों के निबन्धन प्रवर्तन या प्रबन्धन में भाग नहीं लेगा।
16. कोई पुलिस कर्मचारी / लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में नहीं लगेगा। भा०द०वि० की धारा 168 इस नियम के संदर्भ में ऐसे लोक सेवक के लिये दण्ड का प्राविधान करती है जो विधिक रूप से किसी व्यापार में न लगाने के लिये अबाद्व होते हुए भी व्यापार में लगते हैं।
17. कोई भी पुलिस कर्मचारी समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत प्राप्त किये बिना, उसी पर आश्रित किसी अव्यस्क के अतिरिक्त किसी अन्य व्यस्क के शरीर या संम्पत्ति के विधिक संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगा।
18. कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी सम्बन्धी या रिस्टेदार के विषय में जो कि कहीं नियुक्त हो की पदोन्नति या अन्य लाभ के लिये सहयोग नहीं करेगा।
19. कोई पुलिस कर्मचारी किसी लगी हुई पूँजी में सट्टा नहीं लगायेगा। सट्टा अल्पकाल में मनुष्य की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है।
20. कोई भी पुलिस कर्मचारी न तो पूँजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न अपनी पत्नी व परिवार वालों को लगाने देगा। जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में प्रभाव पड़ने की आशंका हो।
21. कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर, कोई भूमि या बहुमूल्य सम्पत्ति हो, रूपया उधार नहीं देगा।
22. कोई पुलिस कर्मचारी किसी ऐसे कार्य का जो प्रतिकूल आलोचना या मान हानि आक्षेप का विषय बन गया हो प्रति समर्थन करने के लिये न तो किसी न्यायालय की या समाचार पत्रों की शरण देगा।

23. कोई पुलिस कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि करने के लिये किसी ज्येष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य वाह्य प्रभाव डालवाने का प्रयास नहीं करेगा।
24. कोई पुलिस कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से व अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नहीं करेगा।
25. कोई पुलिस कर्मचारी अचल व बहुमूल्य सम्पत्तियों को अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
26. कोई सरकारी कर्मचारी जिनकी एक पत्नी जीवित है, बिना किसी अधिकारी की अनुमति के दूसरा विवाह नहीं करेगा।
27. कोई पुलिस कर्मचारी ऐसी सुख सुविधाओं का कुप्रयोग नहीं करेगा, और न उनका असावधानी के साथ प्रयोग करेगा, जिसकी व्यवस्था सरकार ने उसके सरकारी कर्तव्यों के पालन में उसे सुविधा पहुचाने के प्रयोजन से की हो।
28. कोई सरकारी कर्मचारी किसी को मूल्य देना प्रथानुसार या विशेष रूप से किसी व्यापारी के पास उधार लेखा न खुला हो उन वस्तुओं का पूर्ण मूल्य देना रोक नहीं सकेगा।
29. कोई पुलिस कर्मचारी बिना यथोचित और पर्याप्त मूल्य दिये किसी ऐसी सेवा या अमोद का स्वंय प्रयोग नहीं करेगा, जिसके लिये कोई किराया या मूल्य प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।
30. कोई पुलिस कर्मचारी किसी दूसरे की सवारी गाड़ियां प्रयोग में नहीं लयेगा, जो किसी असरकारी व्यक्ति की हों।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख क्र०सं० अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
- 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4 साक्ष्य अधिनियम 1872
- 5 आम्स एकट 1959
- 6 सिविल अधिकार संरक्षण अधि०१९५५
- 7 अनु०जाति व अनु०जनजाति० अधिनियम 1989
- 8 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949
- 9 आवश्यक वस्तु अधि० 1955(उ०प्र०संशोधन अधि०१९७८)
- 10 चोर बाजारी नि० और आवश्यक वस्तु प्रदय अधि० 1980
- 11 खाद्य अपमिश्रण नि० अधि० 1954
- 12 उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986
- 13 पशु अतिचार अधि० 1861
- 14 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 15 बन्दी अधिनियम 1900
- 16 सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867
- 17 किशोर न्याय अधिनियम 1986
- 18 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- 19 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
- 20 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 21 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधि० 1988
- 22 बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930

- 23 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
- 24 विस्फोटक अधिनियम 1884
- 25 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- 26 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
- 27 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
- 28 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- 29 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेष अधिनियम 1986
- 30 भारतीय वन अधिनियम 1927
- 31 वन संरक्षण अधिनियम 1980
- 32 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
- 33 बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
- 34 विष अधिनियम 1919
- 35 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
- 36 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994
- 37 रेल अधिनियम 1989
- 38 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
- 39 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
- 40 पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
- 41 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
- 42 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
- 43 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995

44 ब्याज अधिनियम 1978

45 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986

46 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970

47 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999

48 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970

49 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976

50 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948

51 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983

52 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन

53 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979

54 उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944

55 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991

56 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999

57 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955

58 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964

59 उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964

60 उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964

61 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994

92 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

63 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

64 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल

65 वित्तीय हस्त पुस्तिका

66 समय—समय पर निर्गत शासनादेश

67 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 जनपद पुलिस के विभिन्न कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

जनपद पुलिस में विभिन्न कार्यालयों में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाते हैं –

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस	सभी पुलिस थानों व पुलिस	एक साल थाने पर उसके बाद

		अधिकारी/ कर्मचारी गण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	लाइन में	5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
<u>3</u>	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रख जाएगा राजपत्रित अधिकारे के आदेश पर ही नष्ट होगी
<u>4</u>	भगोड़ा(मफरुर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
<u>5</u>	रोकड़ बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/ पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम
<u>6</u>	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
<u>7</u>	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
<u>8</u>	356 दोप्र०सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	„	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
<u>9</u>	432 दोप्र०सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	„	„	„
<u>10</u>	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	„	एक साल
<u>11</u>	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर	पांच साल
<u>12</u>	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदारों द्वारा ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदार को जबतक नई नोट बुक प्रदान न की जाए

<u>13</u>	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर न0 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
<u>14</u>	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसको दी गई हिदायत का अलालेख	सभी थानों/ पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद
<u>15</u>	केस डायरी	विवेच17ना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/ विवेचको के पास	पांच साल
<u>16</u>	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाने पर	एक साल
<u>17</u>	अगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है।	सभी थाने पर	स्थायी रूप में
<u>18</u>	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	„	तीन साल
<u>19</u>	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का	सभी थाने पर व	पूर्ण होने के पांच
<u>20</u>	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
<u>21</u>	जांचोपरान्त 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	„	तीन साल
<u>22</u>	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	„	„
<u>23</u>	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	„	स्थायी रूप से
<u>24</u>	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
<u>25</u>	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं में	पांच साल
<u>26</u>	माल मसरुका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	पांच साल

<u>27</u>	रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तो को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	एक साल
<u>28</u>	मजिस्ट्रेटो के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटो के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाने पर	पूर्णता से 5 साल तक
<u>29</u>	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	„	दो वर्ष
<u>30</u>	110सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	„	„
<u>31</u>	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	„	स्थाई
<u>32</u>	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के
<u>33</u>	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	„	„
<u>34</u>	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यू तक
<u>35</u>	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	„	निगरानी उचित समझे जाने तक
<u>36</u>	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	„	5 वर्षों तक
<u>37</u>	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	„	5 वर्षों तक
<u>38</u>	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	„	5 वर्षों तक
<u>39</u>	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।	„	स्थायी
<u>40</u>	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।	„	स्थायी
<u>41</u>	गिरप्तारी रजिस्टर	गिरप्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	„	5 वर्षों तक
<u>42</u>	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों का विवरण	„	5 वर्षों तक
<u>43</u>	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की	„	5 वर्षों तक

		तिथियों व कार्यवाही का विवरण		
<u>44</u>	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में	2 वर्षों तक
<u>45</u>	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	„	स्थायी
<u>46</u>	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1 वर्ष तक

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0 सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
<u>1</u>	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
<u>2</u>	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
<u>3</u>	आर्डरबुक प्रार्थना-पत्र	प्रार्थना-पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
<u>4</u>	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेष तक
<u>5</u>	आर्डरबुक शस्त्र प्रार्थना-पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना-पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
<u>6</u>	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	01 वर्ष तक
<u>7</u>	विशेष अपराध पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी

<u>8</u>	जॉच पत्रावलियों	शिकायतों की जॉच के संबंध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
----------	-----------------	------------------------------	-----------------------------	------------

7. जनता की परामर्श दात्री समितियाँ

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर नीति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय—समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक

<u>6</u>	शांति समिति	क्षेत्र के सम्बन्धी नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
<u>7</u>	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्बन्धी व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
<u>8</u>	सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/ परामर्श के लिए	मासिक

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय— शून्य

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम—पते और टेलीफोन डायरेक्ट्री

क्र०सं०	पदनाम अधिकारी	फोन नम्बर	मोबाइल नम्बर
1	पुलिस अधीक्षक	05342—220403	9454400300
2	अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी	05342—220870	9454401106
3	अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी	05342—220423	9454401944
4	क्षेत्राधिकारी नगर		9454401294
5	क्षेत्राधिकारी रानीगंज		9454401297
6	क्षेत्राधिकारी पट्टी		9454401298
7	क्षेत्राधिकारी सदर		9454401295
8	क्षेत्राधिकारी लालगंज		9454401296
9	क्षेत्राधिकारी कुण्डा		9454401299
10	को०नगर	05342—220894	94544041014
11	अन्तू	05342—252201	9454404107
12	कोहड़ौर	05342—220984	9454404113
13	महिला थाना	05342—220135	9454404878
14	रानीगंज	05342—233222	9454404122
15	फतनपुर	05342—235357	9454404109
16	मानधाता	05342—240498	9454404118

17	पट्टी	05343—250223	9454404121
18	कंधई	05343—257125	9454404112
19	आ० देवसरा	05343—266018	9454404106
20	जेठवारा	05341—267031	9454404111
21	महेशगंज	05341—247302	9454404117
22	बाधराय	05341—249666	9454404108
23	लालगंज	05341—255608	9454404116
24	संग्रामगढ़	05341—243324	9454404124
25	सांगीपुर	05341—262405	9454404123
26	उदयपुर	05341—266278	9454404124
27	कुण्डा	05341—230221	9454404115
28	मानिकपुर	05341—242424	9454404119
29	हथिगावां	05341—246602	9454404110
30	नवाबगंज	05341—245340	9454404120
31	जिला नियंत्रण कक्ष	05342—220244	9454417460
32	अभिसूचना इकाई		9454402031
33	प्रतिसार निरीक्षक		9454402389

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

10. सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधि० / कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क० सं०	पद नाम	पूर्व वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचन			पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
			वेतन बैण्ड / वेतन का नाम	सादृश्य बैण्ड / वेतनमान	७वां वेतन मैट्रिक्स में लेवल		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	पुलिस अधीक्षक	15600—39100	—	37400—67000	लेवल—11	—	375
3	अपर पुलिस अधीक्षक	15600—39100	—	67700—208700	लेवल—11	600	300
4	पुलिस उपाधीक्षक	15600—39100	—	56100—177500	लेवल—10	600	300
5	निरीक्षक	9300—34800	—	44900—142400	लेवल—7	900	188

6	उप निरीक्षक	9300—34800	—	35400—112400	लेवल—6	900	188
7	मुख्य आरक्षी	5200—20200	—	14900—142000	लेवल—4	1500	188
8	आरक्षी	5200—20200	—	21700—92300	लेवल—3	1500	188
9	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200	—	18000	लेवल—1	950	156

11. सभी योजनाओं पर होने वाला प्रस्तावित खर्च, योजनाओं के लिये दिया जा चुका धन और काम करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों को आवंटित बजट।

12. सबसिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण

शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता

अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का नामिनल रोल, एफ0सी0आर0 के आंकड़े

15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधाएं

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी	प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशों का छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु0 प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक एवं पोस्टल ॲडर	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

16. लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है :—

क्र0 सं0	जन सूचना अधिकारी का पदनाम	सहायक जन सूचना अधिकारी का पदनाम	अपीलीय अधिकार
1	अपर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़	1. क्षेत्राधिकारी सदर	पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
		2. क्षेत्राधिकारी नगर	

17. अन्य अद्यावधिक करने योग्य सूचनायें

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस से सम्बन्धित उपरोक्त सूचनायें समय से अद्यावधिक की जा रही हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी
नोडल अधीकारी जन सूचना
जनपद प्रतापगढ़।